न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 16/2024

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
माधाराम पुत्र मंगाराम जाति जाट निवासी जसवंतपुरा (नागडी) तहसील खींवसर जिला नागौर।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खींवसर जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री भंवरलाल चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 02.12.2024

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, खींवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 59/2023 सरकार बनाम माधाराम में निर्णय दिनांक 18.03.2024 के तहत मौजा जसवंतनगर की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 09.04.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 29.04.2024 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 59/23 की पत्रावली की प्रमाणित फोटोप्रति पेश की।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व जवाब के तथ्यों पर गंभीरता से विचार किये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्वान्तों के विपरीत जाकर निर्णय जैर अपील पारित कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)– अपीलांट के द्वारा जवाब पेश करने के पश्चात अपीलांट की अनुपस्थिति में उसको सूचना दिये बिना तथ्यात्मक रिपोर्ट पटवारी हल्का नागडी द्वारा दिनांक 13.01.24 को तैयार की गई। जिसमें पटवारी हल्का ने इस तथ्य का मिथ्या उल्लेख किया है कि, उसकी वाट्सअप स्पीच व विडियो में उसके द्वारा पत्थर डालना प्रकट होता है। जबकि ऐसी कोई वाट्सअप स्पीच व विडियो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुआ। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने वाट्सअप स्पीच व विडियो को निर्णय का आधार मानकर जो निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। वह निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अलावा अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 74 के चारों तरफ सुख पत्थरों की दीवार है तथा उक्त दीवार के सुखे पत्थर कभी गिर जाने पर खेत की रखवाली के लिये दीवार को पुनः ठीक किया जाता रहा है। मगर उक्त सूखे पत्थरों की दीवार अपीलांट के खातेदारी के खेत की सीवं पर बनी हुई है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की पक्षपातपूर्ण तरीके से तैयार की गई एकतरफा रिपोर्ट को निर्णय का आधार मानने में कानूनी गलती की है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना ही व पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही विधि विरूद्व निर्णय जैर अपील पारित कर दिया, जो अपास्त होने योग्य है।

{2}(IV)–पटवारी हल्का के उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई शपथ पत्र/गवाही भी नहीं ली गई तथा न ही अपीलांट को गवाह से जिरह का अवसर दिया गया। इस प्रकार भी उक्त निर्णय जैर अपील अवैध है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा जसवंतनगर में स्थित गै. मु. मगरा व रास्ता पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

अपर कलक्टर, नागौर

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, खींवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 59/2023 सरकार बनाम माधाराम में निर्णय दिनांक 18.03.2024 के तहत मौजा जसंवतनगर की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट के अधिवक्ता का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 18.01.2024 से ज्ञात होता है कि अपीलांट ने मौजा जसवंतनगर के खसरा नम्बर 1317/75 व 1318/75 किस्म गै. मु. मगरा व रास्ता पर अतिक्रमण किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर,
नागौर
अपर कलक्टर, नागौर